Police Department **District Rewari.**

Acheivement from 01.01.2015 to 31-08-2015

- 25 cases of murdered solved (Regd. 34 cases)
- 17 Robbery cases solved Rs. 3311890/- recovered (Regd. 27 cases)
- 45 Theft cases solved Rs. 2101400/- recovered
- 22 Burglery cases solved Rs. 1667310/- recovered
- 4 Snatching cases solver Rs. 155000/- recovered.
- 44 cases of Vehicle Theft solved Rs. 6227000/- recovered.

Local & Special Law achivements of Rewari Police from 01-012015 to 31-08-2015

Sr. No.	Head	Details of Cases	Details of Recovery
1.	NDPS Act	Total Case	8
		Recovery	715 Gram Bhang., 715 Gram Sulfa, 12.375 K.G Ganja.
		Person arrested	7
2.	Arms Act	Total Case	14
		Recovery	7 Desi Katta, 2 Pistol, 108 Cartridge, 1 Sward & 1 Knife.
		Person arrested	11
2 (A)	Recovery in IPC Cases	Total Case	13
		Recovery	19 Desi Pistol, 20 Cartridge
		Person arrested	42
3.	Ex. Act	Total Case	131
		Recovery	2739 Bottle licit liquor, 8814.25 Bottles English Wine & 576 Bottle Beer.
		Person arrested	136
4.	G. Act	Total Case	76
		Recovery	Cash Rs. 22,88,623/-
		Person arrested	145

Major Achievement

जिला रेवाडी में वर्ष 2015 के दौरान शीर्षकवार की गई विशेष उपलब्धियों का विवरण इस प्रकार से है।

तीन चन्दन तस्करों सहित करीब 70/80 लाख रू0 की चन्दन लकडी (13 क्विंटल) बरामद।

दिनांक 07.09.15 को स्थानीय पुलिस ने मुखबर की सुचना अनुसार हंस रिसोर्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग न0 – 8 पर (जयपुर से दिल्ली मार्ग) पर नाकाबन्दी करके ट्रक न0 HR-61A-2121 को काबू कर वन विभाग को मौका पर बुलाकर ट्रक की तलाशी के दौरान ट्रक से करीब 13 क्विंटल चंदन की लडकी बरामद की तथा बरामदशुद्वा ट्रक ड्राईवर सहित 3 आरोपीगण को मौका पर काबू कर सफलता हासिल की। जो बरामदशुद्वा ट्रक चन्दन की लकडी सहित कब्जा में लेकर इस घटना के सम्बंध में अभियोग संख्या 507 दिनांक 07.09.15 धारा 420,411,417,120बी भा.द.स व 41A,42 & 69 Indian Forest Act. थाना माडॅल टाऊन दर्ज रजिस्ट्रर किया गया।

कुख्यात व ईनामी बदमाश नीरज पुनिया के साथ हुई पुलिस मुठभेड

अभियोग संख्या 40 दिनांक 03.02.15 धारा 353,186,307,427,34 भा.द.स व 25,54,59 शस्त्र अधिनियम थाना रामपुरा

उपरोक्त अभियोग निरीक्षक राजबीर सिंह, इंचार्ज सी0आई0ए0, रेवाडी की तहरीर पर अंकित हुआ कि दिनांक 03.02.15 वह साथी मुलाजमान स.उ.नि नरेन्द्र कुमार 55, ई.ए.एस.आई मामन सिंह 377, ई.ए.एस.आई इकबाल खान 111, ई.एच.सी राजेश 771, सि0 धर्मदेव 889, सि0 अशोक कुमार 929, सरकारी गाडी न0 एच0आर0–47बी–4300 चालक सिपाही राजकुमार 931 सहित गस्त पडताल क्राईम गौपाल देव चौक पर मौजूद था कि मुखबर खास ने सुचना दी कि नीरज पुत्र पूर्ण चन्द व मन्जीत पुत्र सतेन्द्र वासियान करनाल जो दोनों बदमाश है, जिन पर हत्या, लूट व डैकती जैसे काफी मुकदमें दर्ज है, नीरज पर जिला करनाल में 5 लाख का ईनाम है। वह दोनों क्वालिश गाडी बिना नम्बर प्लेट में सवार होकर नारनौल रोड से रामपुरा गांव आश्रम की तरफ आ रहे है। इस सुचना पर मैनें स.उ.नि ओमप्रकाश को बजरिया फोन आदेश दिया कि अपनी टीम लेकर आश्रम रोड डालियाकी पहुचें। इसके पश्चात आश्रम रोड, डालियाकी के पास नाकाबन्दी की गई। जो कुछ देर बाद स.उ.नि ओमप्रकाश , ई.ए.एस.आई इन्द्रजीत 628, सि0 योगेश 627, ई.एच.सी दीपचन्द 252, ई.एच.सी यशपाल 155, सि. अतुल सरकारी गाडी न0 एच0आर0–47ए–3372 चालक सि. नरेशा कुमार 992 सहित मेरे पास पहुचें। जिन्हे मुखबरी से अवगत कराकर नाकाबन्दी शुरू की गई। करीब 15 मिनट पश्चात गांव डालियाकी की तरफ से एक क्वालिस गाडी आती दिखाई दी, जिनको मैनें हाथ देकर रूकने का ईशारा किया, जो मोड से आगे आते ही क्वालिस गाडी मे सवारों ने पुलिस की गाडी को देखकर एक दम पुलिस पार्टी को जान से मारने की नीयत से सीधा फायर किया, जो कि ई.एच.सी राजेश कुमार बाल बाल बच गया ओर पुलिस गाडी बुलेरो के सीसा पर फायर लगा ओर गाडी से उतरकर भटटा की तरफ भागने लगे। जो स.उ.नि नरेन्द्र ने सरकारी पिस्टल से पुलिस पार्टी के बचाव व बदमाशों पर दवाब बनाने के लिए दो हवाई फायर किए ओर मुलाजमानों ने भागते हुए दोनों बदमाशों को काबू किया, तो मेरे द्वारा पहले काबू शुद्वा व्यक्ति का नाम पुछने पर उसने अपना नाम नीरज पुत्र पूर्णचन्द जाति जाट निवासी फुसगढ जिला करनाल बताया, जिसके दाहिने हाथ में पकडा हुआ एक कटटा देशी 315 बोर को काबू करके चैक किया तो उसमें एक खाली खोल मिला तथा पैन्ट की तलाशी लेने पर 3 रोन्द 315 बोर बरामद हुए तथा दुसरे काबू शुद्वा व्यक्ति का नाम पुछने पर उसने अपना नाम मन्जीत पुत्र सतेन्द्र निवासी बहाल हाल सुगर मिल, कालोनी, म0न0 बी–8, करनाल बतलाया, जिसकी तलाशी लेने पर दाहिने डब से एक पिस्टल 32 बोर देशी तथा जिसकी मैगजीन में 2 जिन्दा कारतूस मिलें। जो दोषी नीरज व मन्जीत उपरोक्त ने पुलिस पार्टी को जान से मारने की नीयत से फायर करके व गाडी सरकारी बुलेरो को नुकसान पहुचांकर तथा नाजायजा असला कब्जा में रखकर जुर्म धारा 353,186,307,34,427 भा.द.स व 25,54,59 शस्त्र अधिनियम का किया है। इस पर उपरोक्त अभियोग अंकित करके अनुसंधान आरम्भ किया गया है। **अनुसंधान के दौरान अभियुक्त नीरज व मन्जीत उपरोक्त को दिनांक 03.02.15 को गिरफतार करके उनके कब्जें से 2 देशी कटटे 315 बोर, 5 जिन्दा कारतूस व 1 खाली खोल व वारदात में प्रयोगशुद्वा गाडी क्वालिस को कब्जा पुलिस में लिया गया है। जिन्होनें हत्या, लूट, डैकती की काफी वारदातें स्वीकार की।**

कुख्यात मेवाती गिरोह के साथ हुई पुलिस मुठभेड

अभियोग संख्या 161 दिनांक 31.05.2015 धाराधीन 148,149,332,353,186,307 वा 25.54.59 **Arms & 3 PDPP Act.** थाना कसौला, जिला रेवाडी।

उपरोक्त अभियोग के संक्षिप्त हालात मुकदमा इस प्रकार से है कि दिनांक 30/31.5.2015 की रात को पुलिस कन्ट्रोल रूम रेवाडी से एक V.T प्राप्त हुई कि लूट व डकैती की वारदात करने वाला मेवाती गिरोह पिकअप गाडी मे सवार होकर NH – 8 पर आ चुका है जो इस सूचना पर HC सोमबीर न0 567/रेवाडी व HC फकरूदीन न0 774/रेवाडी बमय गाडी सरकारी तवेरा नम्बर HR-47-0444 चालक सिपाही अनिल कुमार न0 965 के तक्सीमशुदा राईफल AK – 47 सहित पिकअप गाडी मे सवार बदमाशो की तलाश हेतू NH – 8 दिल्ली–जयुपर रोड पर कर रहे थे, जो इसी दौरान समय करीब 11.30 बजे रात्री आसाम आयल पट्रोल पम्प के पास पहुॅचे तो उनके पास से एक सफेद रंग की टाटा पिकअप गाडी गुजरी, जिसके केबिन मे तीन नौजवान तथा पिछे बाडी मे चार नौजवान संदिग्ध हालत मे दिखाई दिये। जो पिकअप गाडी के पिछे नम्बर प्लेट नही थी जो इस पिकअप गाडी को देखकर उन्होने उसका पिछा करना शुरू कर दिया, इस पर उन्होने कन्ट्रोल रूम रेवाडी को V.T दी कि पिकअप गाडी चालक ने अपनी गाडी को NH – 8 पर बावल की तरफ दौडा दी है। इसके अलावा पीछा कर रही पुलिस पार्टी का वायरलैस सैट के माध्यम से SHO Traffic की सरकारी गाडी Tavera मे सवार स.उ.नि सुखबीर वा चालक ई.एच.सी सतबीर से भी इस पिकअप गाडी बारे सम्पर्क होता रहा। जब पिकअप गाडी असाई कम्पनी के पास पहुॅची तो पिकअप गाडी मे सवार बदमाशो ने पीछे लग रही पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से 3/4 राउण्ड फायर किये तथा पीछा कर रही Tavera गाडी को भी साईड से टक्कर मारने की कोशिश की, तथा बदमाशो ने Tavera गाडी में बैठे पुलिस कर्मचारीयों को जान से मारने की नियत से उनके उपर भी फायर किये, तथा उनकी गाडी को टक्कर मारने की कोशिश की जो बाल–बाल बचे। फिर बनीपुर चौक से पहले NH – 8 पर जाम देखकर बदमाशो ने अपनी गाडी को वापिस मोडा तो HC सोमबीर न0 567/रेवाडी ने बदमाशो को चेतावनी देते हुये 2/3 राउण्ड हवाई फायर वा 2/3 राउण्ड पिकअप गाडी के टायरो की तरफ किये। जो सामने से पिकअप गाडी के नम्बर RJ-05GA-9781 दिखाई दिये जो पिकअप सवार बदमाशो ने जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी पर सीधा फायर किया वा पुलिस पार्टी की गाडी में सिधी टक्कर मारी, जिससे चालक सिपाही अनिल कुमार को चोट आई वा गाडी मे नुक्शान हुआ। जो HC सोमबीर न0 567/रेवाडी ने हालात अनुसार खुद वा साथी मुलाजमान की हिफाजत के लिये आत्मरक्षा मे पिकअप गाडी मे सवार बदमाशो को काबू करने के लिये उनकी गाडी पर 2/3 राउण्ड फायर कियें। जो पिकअप गाडी रूकने पर पुलिस कर्मचारियों ने बदमाशो को काबू करने का प्रयत्न किया तथा एक बदमाश को भागते हुये को HC फकरूदीन ने काबू किया वा अन्य बदमाश जो गोली चलने से घायल था को HC सोमबीर न0 567/रेवाडी ने काबू किया जिसके पास से एक देशी कटटा बरामद हुआ, पिकअप गाडी का चालक जिसके शरीर मे गोली लगी थी वह घायल अवस्था मे था बाकि 3/4 बदमाश भागने मे कामयाब हो गये। बदमाशो से उनके नामपता पुछने पर अपना नाम इरफान गांव धुलावट व घायल बदमाश ने अपना नाम शाहिन गांव फकरपुर खोरी तथा पिकअप चालक ने अपना नाम करार गांव घुलावट बतलाया। इसके पश्चात घायलो को ईलाज हेतू प्राईवेट Ambulance का प्रबन्ध करके CHC बावल भिजवाया गया। जो HC सोमबीर न0 567/रेवाडी द्वारा पेश की गई दरखास्त से अपराध 148,149,332,353,186,307 भा.द.स व 25.54.59 A. Act & 3 PDPP Act. 1984 का होना पाये जाने पर उपरोक्त अभियोग दर्ज कर अनुसंधान उ.नि जगदीश प्रसाद, प्रबन्धक थाना कसौला द्वारा आरम्भ किया गया।

अनुसंधान के दौरान पिकअप गाडी की तलाशी ली गई तो पिकअप गाडी की बाडी मे एक देशी राईफल मय एक जिन्दा कारतूस व एक खाली खोल शुद्वा बरामद हुआ। घटना में प्रयोगशुद्वा पिकअप को कब्जा पुलिस में लिया गया। इस घटना में सिपाही अनिल कुमार घायल अवस्था में दाखिल CHC बावल है। अभियोग में आरोपी करार अहमद पुत्र नीयामत मेव निवासी घुलावट, थाना तावडू, जिला मेवात नूंह की मृत्यु होने पर कार्यवाही 174 द.प्र.स की जाकर डाक्टरी बोर्ड CHC बावल द्वारा विडियोंग्राफी सहित पोस्टमार्टम करवाया जाकर नाश अन्तिम संस्कार हेतू वारसान के हवाले की गई है। आरोपी शाहिन निवासी फकरपुर खोरी थाना तावडू, जिला मेवात घायल अवस्था में PGIMS, Rohtak दाखिल है। आरोपी इरफान पुत्र अयुब मेव निवासी घुलावट, थाना तावडू, जिला मेवात नूंह को हस्ल जाब्ता गिरफतार किया जाकर 2 दिन रिमाण्ड पुलिस हिरासत पर लिया गया था। जो बन्द जुडिशियल नारनौल (जिला महेन्दगढ, हरियाणा) है। जो आरोपी इरफान ने इस घटना में उपरोक्त आरोपिगण के अलावा बकाया आरोपिगण *पगला उर्फ जाहिद पुत्र नशरू जाति मेव, लीला पुत्र जमीन जाति मेव, हेमु पुत्र जखरू जाति मेव वासियान घुलावट, थाना तावडू, जिला मेवात नूंह* के साथ मिलकर इस घटना को एंजाम दिया जाने बारे इंकसाफ किया।

“ आरोपी जाहिद उर्फ पगला पुत्र नशरूदीन निवासी घुलावट, थाना तावडू, जिला मेवात जो अभियोग में वांछित था कि नाश दिनांक 03.06.15 को Carrier Company, HSIIDC Bawal के पास मिली। जो निरीक्षण के दौरान मृतक जाहिद की पहनी हुई पैन्ट की जेब से 5 जिन्दा कारतूस KF 8 MM मिलें तथा एक देशी कटटा व 2 मोबाईल फोन नाश के पास से बरामद हुए।”

5 करोड की फिरोती मांगने वाला गिरोह काबू

दिनांक 31.05.15 की रात्री को दीपक सोनी पुत्र पूर्णमल जाति सुनार निवासी बाराहजारी, रेवाडी के मो0 न0 9896011220 पर मोबाईल न0 9887729053 से 5 करोड रू0 की फिरोती की मांग की गई तथा ना देने पर जान से मारने की धमकी दी तथा धमकी देने वाले ने अपना नाम कुख्यात अपराधी डाक्टर कुलदीप, महेन्द्रगढ बतलाया। जो इस शिकायत पर अभियोग संख्या 217 दिनांक 01.06.15 धारा 386 भा.द.स थाना शहर रेवाडी दर्ज किया गया तथा धमकी को देखते हुए स्थानीय पुलिस ने पीडित को पुलिस सहायत प्रदान करवाई, इसी दौरान दिनांक 01.06.15 को 3 अज्ञात अभियुक्त एक मोटर साईकिल पर आये ओर पीडित की दुकान नवदीप ज्वैलर्स के अन्दर घुसकर जान से मारने की नीयत से गोलियां चलाई, जिस पर पीडित की सुरक्षा में हाजिर पुलिस कर्मचारीयों ने उन बदमाशों में से एक बदमाश विक्रम उर्फ इंग्लिश पुत्र रामनिवास निवासी ढाकिया, जिला रेवाडी को मौका पर पकडा गया। उसके बाद इन दोनों केसों में साथी दोषियान नेपाल पुत्र पहलाद निवासी मुढणवास, थाना कसौला, जिला रेवाडी व राजबीर उर्फ काला पुत्र प्रताप जाति गुजर्र निवासी मुंढणवास, जिला रेवाडी को गिरफतार कर पुलिस ने सफलता हासिल की।

2 लाख की फिरोती मांगने वाला गिरोह काबू

दिनांक 08.06.15 की मो0 न0 7056190504 से शिकायतकर्ता अनिल कुमार निवासी रेवाडी के मो0न0 9416063679 पर 2 लाख फिरोती की मांग की गई तथा ना देने की एवज में जान से मारने की धमकी दी गई। इस पर अभियोग संख्या 293 दिनांक 08.06.15 धारा 386 भा.द.स थाना माडॅल टाउन दर्ज करके अनुसंधान आरम्भ किया गया। जो स्थानीय पुलिस ने अनुसंधान के दौरान आरोपी दीपक उर्फ कालू , विक्की उर्फ ब्रिजेश, बिल्लू उर्फ चन्द्रशेखर व हवासिंह को गिरफतार करके सफलता हासिल की।